सरकारी योजनाएँ: हमारे मुद्दे

(राजनैतिक दलों से संवाद)

॥ पेरवी ॥

अप्रैल, 2009

राजनैतिक दलों से संवाद

स्वैच्छिक संस्थाओं का साझा प्रयास

02 अप्रैल 2009, रायपुर (छत्तीसगढ़)

साथी संस्थाऐं :

- आकार
- कासा
- छत्तीसगढ़ नागरिक पहल
- चिराग
- जन कल्याण सामाजिक संस्थान
- नदी घाटी मोर्चा
- पैरवी
- पथ प्रदर्शक
- प्रयास
- प्रिया
- सहायता
- सहयोगी मित्र मंडल
- समर्थन
- संभव
- सेवा
- शिखर युवा मंच

पैरवी, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित
आवरण व लेआउट: रजनीश
अप्रैल 2009

भूमिका

भारतीय संसद के 15वें लोक सभा चुनावों के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है। तत्सम्बन्ध में विचारणीय तथ्य है कि, किसी भी लोकतंत्र की दृढता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि उस लोकतंत्र के नागरिक कितने सशक्त है। नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता जितनी अधिक होगी, उस देश का लोकतंत्र भी उतना ही सशक्त होगा। निर्वाचन प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी पसंद तथा राष्ट्र के विकास हेतु समर्पित राजनैतिक प्रत्याशियों के चयन का एक सशक्त माध्यम प्रस्तुत करती है, किन्तु नागरिकों का मतदान करने का अधिकार वास्तविक रुप में तभी सफल है जब उनके द्वारा चुने प्रतिनिधि नागरिकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रख अपने राजनैतिक कर्त्तव्यों का समुचित रुप से पालन करें। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं व उनके विकास हेतु मुद्दों का चयन जनता की प्राथमिकताओं के आधार पर करें ना कि राजनैतिक दलों के हितों को दृष्टिगत रख ।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर राजनैतिक दलों की प्रतिबद्धता पर चर्चा हेतु दिनांक 02 अप्रैल 2008 को स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा साझा प्रयास के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वैच्छिक जगत के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग तथा मीडिया प्रतिनिधि ने भाग लिया। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रुप से छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारन्टी अधिनियम, जल की उपलब्धता तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन व इसकी सुनिश्चितता को लेकर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्रमुख रुप से दुकानों का समय पर नहीं खुलना, राशन का दुकान तक सही समय पर नहीं पहुंचना, पर्याप्त मात्रा में राशन का नहीं मिलना, बोगस राशन कार्ड का प्रयोग, तथा निगरानी समिति का क्रियाशील नही होना जैसी समस्याएं सामने आयी।

रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में कार्यक्रम में समय सीमा में कार्य नहीं मिलना, कार्य नहीं मिल पाने पर बेरोजगारी भत्ते का नहीं दिया जाना, कार्य के पश्चात् समय पर भुगतान नहीं होना, कार्य स्थल पर वांछनीय सुविधाओं का अभाव तथा सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया जाना प्रमुख समस्या के रुप में परिलक्षित हुए।

जल उपलब्धता के विषय में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता का अपर्याप्त होना, जल का निजीकरण तथा जल के संबंध में शासन की नीति पर प्रमुख रुप से चर्चा की गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रमुख रुप से आवेदन सरलता पूर्वक स्वीकार नहीं किया जाना, अपीलीय शुल्क का प्रावधान, समय सीमा में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया जाना, राज्य सूचना आयोग के आदेश का अनेक प्रकरणों में जन सूचना अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया जाना, आमजन के मध्य इस कानून के संदर्भ में जागरुकता की कमी जैसे विषय चर्चा में रहे।

कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रुप में श्री बृजमोहन अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री रमेश वर्ल्यानी, बहुजन समाज पार्टी से डॉ. कुन्ती कुर्रे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से श्री धर्मराज महापात्रा तथा श्री संजय पराते ने अपने दलों की उक्त विषयों संबंधी विचारधारा तथा प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया ।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कासा संस्था द्वारा अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित रहे –

पृष्ठभूमि :

खाद्यान्न के बाजार में मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्य से भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना। इस योजना को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करना, जिससे गरीबी उन्मूलन करते हुए गरीब परिवारों को आवश्यक पोषण की प्राप्ति हो सकेगी।

उचित मूल्य के दुकानों के संदर्भ में – निष्कर्ष :

- छत्तीसगढ़ स्तर पर राशन कार्डों का वितरण उचित तरीके से नहीं हुआ है। ऐसे कई गरीब परिवार अभी भी हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास कार्ड तो है परंतु खाद्यान्न उन तक नहीं पहुँचा है, या फिर उनके कार्ड पर गलत प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं।

- खाद्यान्नों का समयानुसार एवं नियमित रूप से दुकानों तक न पहुंचना एक मुख्य समस्या है। दुकान कब खुलेगी, इसकी पूर्व सूचना लोगों को कम ही प्राप्त होती है।

- यद्यपि स्पष्ट है कि डीलरों का कमीशन अथवा आय कम है, परन्तु उचित मूल्य के दुकानों को डीलर फायदेमंद ही मानते हैं। बोगस कार्ड'' एक अन्य तरीका है जिससे डीलर पैसे बनाते हैं। यह ऐसा कार्ड है जो किसी भी परिवार के नाम से नहीं रहता है वरन डीलर उसे स्वयं के पास बनवा कर रखता है। जो राशन इन ''बोगस कार्ड'' के अन्तर्गत वितरित होना चाहिए, उसे दुकानदार खुले बाजार में बाजार भाव से बेच देता है।

- सन् 1997 से भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत आचार संहिता में निगरानी समितियों के गठन में सदस्यता मुख्यतः राजनैतिक प्रतीत होती है क्योंकि इन समितियों में स्थानीय राजनेताओं की भरमार होती है। दुकान के स्तर पर समितियों में सदस्यों का चुनाव डीलरों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। बहुधा, ये जन अपने उत्तरदायित्यों से अनभिज्ञ होते हैं।

- हाल ही में राशन कार्ड बांटने के नाम पर पुराने राशन कार्डो को महीनों पहले जमा करा लिया गया है। हितग्राहियों को बिना कार्ड भी राशन दिया जा रहा है। कई जगहों पर निर्धारित कोटे से कम अनाज दिया जा रहा है। कार्डधारक को यह पता ही नहीं है कि उसके जमा कार्ड में प्रदान किये जा रहे अनाज की प्रविष्टियां सही हो रही है अथवा गलत।

- गांव में खाद्यान्न के उचित रखरखाव का भी अभाव पाया गया है। विशेषकर वर्षा में छत आदि से पानी टपकने के कारण अनाज के सड़ने व खराब होने का भी डर बना रहता है। कई बार यह पाया जाता है कि उचित रख–रखाव के अभाव में अनाज सड़ जाता है।

अनुशंसायें :

- पुनः बी.पी.एल., अंत्योदय तथा अन्नपूर्णा के हितग्राहियों का चयन करें, जिससे बचे हुए गरीब व विशेष संरक्षित जनजाति परिवार भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले सकें। सर्वोच्च न्यायालय के 14 फरवरी 2006 के आदेशानुसार – ऐसे सर्वे की जरूरत महसूस की गई है, जो कि पारदर्शी हो तथा जिसमें लोगो कि भागीदारी सुनिश्चत हो।

- सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की प्रक्रिया चलाना चाहिए, तथा वैसे संचालक–कर्ता का लाइसेंस तत्काल रद्द कर देना चाहिए जो अनियमितता तथा भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते है।

- सरकार को अभियान के रूप में कम से कम 6 माह तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे गरीब परिवार अपना अधिकार जान सकें। प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे – ब्लाक तथा जिला स्तर पर दीवाल लेखन, टी0वी0, आल इंडिया रेडियो, केबल, दूरदर्शन में जागो ग्राहक जागो के पंचलाईन के आधार पर जन साधारण तक संदेश पहुचाना चाहिए।

- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होने वाले किसी आबंटन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं दिया जाए।

- अंतिम सूची तैयारी करने से पूर्व राज्य सरकार पंचायतों में चिन्हित कार्डधारकों की सम्पूर्ण सूची एवं दुकान भवन को प्रकाशित करे। सूची–प्रकाशन के तीन माह के भीतर इस बाबत एक खास ग्राम सभा बैठाई जाए। इस खास ग्राम सभा की रूपरेखा तैयार कर इसे बाध्य बनाया जाए एवं प्रत्येक जन को जानकारी देने हेतु व्यापक व्यवस्था हो।

- पहचान सर्वे के दौरान एवं कार्डो के वार्षिक पुनर्विलोकन में जब ग्राम सभा द्वारा अंतिम सूची तैयार किया जाए, एक सख्त मार्गदर्शिका बनायी जाए ताकि किसी भी वर्ग का कोई भी जरूरतमंद परिवार कार्ड रहित न रह जाए।

- यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर निगरानी रखे एवं छःमाही प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त सलाहकार के पास प्रस्तुत करे।

- सरकार वैसे महिला जो अपने पति से पृथक हो जाती है अथवा परित्याग कर दी जाती है तथा साथ ही साथ वैसे परिवार जो रोजगार की तलाश में किसी और जगह जा कर बस गये है जहां उनका कोई प्रमाण पत्र नही है। लेकिन वे गरीब है, तो ऐसे परिवार को राशनकार्ड हेतु आवेदन पर पात्रतानुसार जो भी उचित हो, बी0पी0एल0,अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड दिया जाए।

- राज्य में निगरानी समितियों का गठन नहीं हुआ है, जल्द ही समितियों का गठन किया जाए। राज्य, जिला एवं दुकान तीनों स्तरों पर तीन माह की समयावधि में समितियों का गठन करा लेना चाहिए।

- दुकान स्तर की समिति में पांच लोग अवश्य होने चाहिए। ये लोग बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों की खास बैठक द्वारा सीधे तौर पर चुने जाने चाहिए एवं कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष

में एक बार इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं उन्हें घोषणा पत्र की एक प्रति दी जानी चाहिए।

- ग्राम सभा को ये शक्तियां दी जानी चाहिए कि वह उचित मूल्य की दुकानों की नवीनीकरण को मान्य अथवा निषेध कर सके। यह प्रकिया कम से कम 30 पतिशत बी.पी.एल. / अ.अ.योजना कार्ड धारकों के सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात होनी चाहिए।

राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया :

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी :

हमारे देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है, जिस हेतु गरीबों के मध्य ही अन्तर विभाजन कर दिया गया है । सरकार ने इन गरीबों के स्तर को ऊपर उठाने हेतु आज तक क्या किया यह स्पष्ट नहीं है । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चौदह प्रकार की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने की बात कही, साथ ही उन्होंने आम व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने हेतु रोजगार सृजित करने पर भी जोर दिया ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :

उक्त प्रस्तुत पत्र निश्चित तौर पर सराहनीय है व इस प्रकार की समस्याएं व्यावहारिक धरातल पर नजर आ रही हैं। जिस परिवार की आवश्यकता कम है, उसे समान अनाज का वितरण किया जा रहा है जबकि इसके स्थान पर परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर अनाज का वितरण किया जाना चाहिए । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रणाली को काम के साथ सम्मिलित करने पर जोर दिया।

बहुजन समाज पार्टी :

इस हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने पर जोर दिया।

भारतीय जनता पार्टी :

ए.पी.एल. हेतु खाद्यान्न बन्द नहीं किया जाना चाहिए। ए.पी.एल. मध्यमवर्गीय परिवार के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विचार प्रस्तुत किया कि 2001 में प्रति व्यक्ति आय 9000/– थी । जो कि 2009 में बढ़कर 25000/– रु. हो गई है । उन्होंने ने बताया कि हमारी सरकार ने सेल्स मैन का कमीशन जो कि पूर्व में 1 क्विंटल में 8 रु. था उसे बढ़ाकर वर्तमान में 30 रु. प्रति क्विंटल कर दिया है। पूर्व में डीलर के स्तर पर 2600 दुकानें थी जो कि अब 10500 हो चुकी है । उन्होंने कहा कि भविष्य में वे ज्यादा गरीबों को 1 रु. किलों में चावल तथा कम गरीबों को 2 रु. किलों में चावल प्रदान करेंगे। उन्होंने ने कहा कि राशन दुकानों की डीलरशीप स्व सहायता समूहों, पंचायतों, लैम्प्स तथा वन संरक्षक समिति को दी जायेगी। सप्ताह में 6 दिन दुकानें निश्चित तौर पर खुलें इस दिशा में भी और अधिक प्रयास किये जायेंगे। हमारा राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसने इस प्रणाली के अंतर्गत 50 पैसे प्रति किलो नमक वितरण का निर्णय लिया और उसे लागू किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

समर्थन संस्था द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम पर प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें निम्न बिंदुओं को समाहित किया गया था :

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत् हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो रोजगार के लिए आवेदन करते हैं उस परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक ढॉचा विकसित करना है ताकि लोगों को रोजगार के नियमित अवसर उपलब्ध हो सके। इस आशा के साथ कि यदि जमीनी स्तर पर इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो इसके अंतर्गत सृजित होने वाला रोजगार देश एवं राज्य में व्याप्त गरीबी के मानचित्र को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से जुड़े जमीनी मुद्दे :

- सुव्यवस्थित एवं सहभागी ग्रामीण नियोजन का अभाव, ग्रामीणों की प्राथमिकता से जुड़े मुद्दे का योजना में सम्मिलित न होना।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित न किया जाना।
- समय पर मजदूरी न मिलना, कार्यक्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा समय पर कार्य का मूल्यांकन न होना।
- ढाँचागत व्यवस्था का अभाव।

अनुशंसाऐं :

- ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन का आधार व्यवस्थित ग्रामीण नियोजन होना चाहिए जिसमें ग्रामसभा को यह अधिकार होना चाहिए उन्हें अपने यहाँ क्या कार्य कराना है तथा किस कार्य अपनी प्राथमिकता में रखना है।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना इसके लिए जुड़े विभागों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ताकि ग्रामसभा के द्वारा अपने कार्यों की उपयोगिता उसके सही–गलत मूल्यांकन हो सके साथ ही ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित मुद्दे पर कम से कम 15 दिनों में कार्यवाही की जाय तथा उनको इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाये।
- समय पर मजदूरी सुनिश्चित कराने के लिए योजना निर्माण के बाद ब्लाक स्तर पर ही प्रत्येक पंचायत के एक वर्श के कार्यों को प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित की जाय तथा उसके अनुसार ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जाय।

- लोगों को कार्यस्थल पर यदि सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसका भुगतान अतिरिक्त मजदूरी के रूप में किया जाय।
- प्रत्येक ब्लाक एवं जिले में परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती की जाय एवं उनकी पदोन्नति को पंचायतों में दिये जा रहे कार्यों के साथ जोड़ा जाय।

राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया :

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी :

इस कानून को लाने में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण तथा दबाव मूलक रही है। उन्होंने ने कहा कि, राज्य में सामाजिक अंकेक्षण कही भी नहीं हो पा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो रही है तथा गांव के मुद्दों को अभी भी प्राथमिकता नही मिल पा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :

ढांचागत व्यवस्था को हमें प्राथमिकता से लेने की व्यवस्था करनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी :

इस कानून के क्रियान्वयन के संबंध में मॉनिटरिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा व्यवस्थित नहीं है। कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। भुगतान संबंधी विषय पर उन्होंने कहा कि लोगों के खाते बैंक में खुलवाये जा रहे है जिससे भुगतान संबंधी अव्यवस्था समाप्त होने की आशा है।

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान में उन्हें इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। किन्तु जहां भी बेरोजगारी भत्ते लोगों को नहीं मिल रहे हैं इस दिशा में उन्हें जानकारी मिलते ही त्वरित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जहां पांच व्यक्ति सम्मिलित रुप से कार्य की मांग करेंगे उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जायेगा।

जल की उपलब्धता

छत्तीसगढ़ में जल की उपलब्धता के संदर्भ में नदी घाटी मोर्चा द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया –

देश के मध्य पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ जल संसाधनों से समृद्ध एक भू–सांस्कृतिक राज्य है। राज्य को 1300 मि.मि. जल प्रतिवर्ष वर्षा से प्राप्त होता है। जल संसाधनों के लिए भी छत्तीसगढ़ की अपनी विशिष्ट पहचान है। छत्तीसगढ़ तीन भू–सांस्कृतिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है – दक्षिणी, उत्तरी एवं मध्य छत्तीसगढ़। ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं वरन जनसंख्या, संस्कृति, रहन सहन में भी परस्पर भिन्न है।

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक जल स्त्रोतों की विविधता है। मैदानी क्षेत्रों में तालाब, कुए, नदियां तथा पहाड़ी क्षेत्र में झरने, झिर्री, नदी का उद्‌गम आदि है। भूस्तरीय जल की उपलब्धता 41720 घनमीटर है। एक अशासकीय आंकड़े के अनुसार 36580 तालाब छत्तीसगढ़ में है। भूमिगत जल 56340 लाख घनमीटर है। प्रदेश के 1,35,100 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में चार नदियों का कछार है। गंगा का कछार 18000 वर्ग किलोमीटर, महानदी का 74997 वर्ग कि.मी., गोदावरी का 39553 वर्ग कि.मी. एवं सबसे छोटा नर्मदा का कछार 1950 वर्ग कि.मी. है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां महानदी, इन्द्रावती, शिवनाथ नदी, हसदेव, केलो, मांड, खारून, भाबरी, अरपा, मनियारी आदि है।

छत्तीसगढ़ में जल आधारित समुदाय केवट, धीमर, निशाद, कुम्हार तथा नदी किनारे सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों की संख्या 50 लाख से भी अधिक है। विगत दिनों जल आधारित अर्थ व्यवस्था पर हमला होने के कारण यह समुदाय आज भूखा और बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गया है और मौसमी तथा स्थायी पलायन के लिए बाध्य है। नया राज्य गठित होने के बाद भूमि एवं जल उपयोग की नीति न बन पाने के कारण संगठित भू–माफियाओं के एक बड़े तबके का विकास हुआ जिसके कारण छोटे और मंझले किसान तात्कालिक लाभ के लालच में आ गए और भू –हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी आई। अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक औद्योगिकरण के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी भूमि से हाथ होना पड़ा या प्रदूशण की मार झेलनी पड़ी। स्वस्थ औद्योगिक नीति के अभाव में औद्योगिक जल के उपयोग पर भी औद्योगिक नियंत्रण बढ़ा। नदियों के बीच इनटेक कुएं (Intake Well) या एनीकट बनाकर जल प्रदाय, नदी पर छोटे – छोटे बांध बनाकर जल प्रदाय, नदी के किनारे ईट के भट्‌ठे एवं अन्य छोटे उद्योगों के कारण नदी के बेसिन पर दबाव का पड़ना जैसे परिणाम हुए। प्रदूशित औद्योगिक अव ोशों को नदियों पर उत्सर्जित करने के कारण नदी आधारित संस्कृति पर संपूर्ण बिखराव आने लगा। उसी प्रकार तालाबो का संरक्षण एवं सामूहिक देखरेख न होने के कारण तालाबों से समुदायों के रिश्ते में अत्याधिक कमी आई जिसके कारण तालाब आधारित संस्कृति व जीवन शैली में भी बिखराव आया। आज सार्वजनिक संपत्ति पर समुदाय का कोई नियंत्रण नही है जिसके कारण जल आधारित एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे है।

अपनी भू–सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण छत्तीसगढ़ में कृषि विविधताओं का अपार भंडार है। यहां 21000 से भी अधिक किस्मों के धान के बीज पाए जाते है। हाईब्रिड एवं व्यवसायिक कृषि के दबाव के कारण छत्तीसगढ़ की कृषि विविधता संकट में है। धान संस्कृति से समृद्ध छत्तीसगढ़ में धान का रकबा कम होता जा रहा है। धान की खेती के कारण ही छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल स्तर की स्थिति मजबूत होती है इसलिए छत्तीसगढ़ की खाद्य सुरक्षा एवं भूमिगत जल स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए धान की खेती महत्वपूर्ण है। प्रदेश को भूखा मुक्त और सूखा मुक्त बनाने के लिए खेती और उद्योग के मध्य एक बेहतर वैज्ञानिक समन्वय की आवश्यकता है क्योंकि कृषि

विविधता के अतिरिक्त खनिज विविधता भी यहां है। बॉक्साईट तथा लाइमस्टोन के भण्डार जल संरक्षण में अहम् भूमिका निभाते है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में भी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण वह भी अहम् भूमिका निभाती रही है इसलिए राज्य में तालाबों की संस्कृति पनपी। यहां की जीवन भौली में भी तालाब, नदी और धान संस्कृति का महत्व है। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, उत्पादन प्रक्रिया, आपसी समरसता, संस्कृति, जीवन शैली सभी के केन्द्र में जल का महत्व है। दुनिया के विकास के केन्द्र में भी जल एक अहम् भूमिका निभाता है इसीलिए बेहतर छत्तीसगढ़ के निर्माण में जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल वितरण, जल उपयोग और जल केन्द्रित विकास के मध्य एक आपसी समन्वय की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जल नीति उद्योग नीति, ऊर्जा नीति, खनिज नीति एवं पर्यावरण नीति के मध्य भी आपसी समन्वय जरूरी है। इन सभी नीतियों को अलग–अलग नहीं वरन् एक फ्रेम में लाकर देखना चाहिए क्योंकि ये सभी नीतियां परस्पर भिन्न दिखाई देते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करती है।

समाज के एक वर्ग का मानना है कि जल पर टैक्स लगा देने से, सार्वजनिक नलों को बंद कर देने से समुद्र में वर्षा जल मिलने के पहले रोक देने से, गरीब बस्तियों में निःशुल्क जल प्रदाय बंद कर देने से जल की समस्या हल हो जायेगी। इतिहास गवाह है कि जल जैसी बुनियादी आवश्यकता को बहुसंख्यक जनता की पहुंच से दूर करने पर तथा जल व्यापारीकरण से जल युद्ध और जल द्वंद तीव्र होगा और आपसी संघर्ष बढ़ेगा तथा जल बाजार, जल व्यापारीकरण और जल निजीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी जिससे जल, समाज के नियंत्रण में न रहकर पूंजी के नियंत्रण में होगा जिसके परिणामस्वरूप समाज मरू क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में बदल जायेगा।

जल जैसे प्राकृतिक संसाधन पर संवेदनशीलता से व्यवहार व विचार करने के लिए, भविष्य में समाज को पानीदार बनाने के लिए, आंखों में पानी लाने के लिए, हृदय पसीजने के लिए, जल समृद्धि बनाए रखने के लिए आपसी विचार मंथन करें ताकि आपके और हमारे साझा भगीरथ प्रयास से एक पानीदार समाज का नव निर्माण किया जा सके।

राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया :

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी :

राज्य में जल का निजीकरण हो रहा है और समुदाय का इसपर अधिकार समाप्त होते जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :

हर मकान मालिक को वॉटर हॉरवेस्टिंग की नीति पर कार्य करेंगे तथा छत्तीसगढ़ के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों को जोड़ने का कार्य करेंगे ।

भारतीय जनता पार्टी :

हमारी प्राथमिकता में क्रमशः पहले पेयजल, कृषि तथा उद्योग हैं। शिवनाथ नदी के निजीकरण मुद्दे पर उन्होने कहा कि शिवनाथ नदी के निजीकरण को हमारी सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है किन्तु उच्च न्यायालय में स्टे के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि तालाबों को संरंक्षित करने की नीति पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नदी में एनीकेट बनाकर आस–पास के क्षेत्रों में सिंचाई तथा निकटस्थ जल स्त्रोतो को रिचार्ज करने के महत्वपूर्ण तथ्य पर जानकारी प्रदान की।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम पर पैरवी, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ नागरिक पहल के प्रतिनिधि द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया।

लोकतंत्र में नागरिकों की शासन व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के प्रति लोक प्राधिकरणों की जवाबदेहता तथा पारदर्शिता को तय करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश (जम्मू –काश्मीर के अंतिरिक्त) में समान रुप से लागू हुआ । छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में इस कानून के लागू होने के पश्चात् से निम्न समस्याएं इसके क्रियान्वयन के संबंध में परिलक्षित होती है :

- राज्य में स्वयमेव खुलासे के प्रावधानों का, प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुपालन नहीं होना।
- लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों का आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करना।
- अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा करने की व्यवस्था के संबंध में नागरिकों से अनेक कार्यालयों में नगद शुल्क स्वीकार नहीं किया जाना।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप नागरिकों को सूचना सरलता से नहीं अपितु परिस्थिति एवं भ्रष्टाचार के आधार पर प्रदान की जाती है।
- प्रथम अपील पर भी ज्यादातर प्रकरणों में नागरिकों को न्याय की प्राप्ति नहीं होती है।
- अपील संबंधी शुल्क भी अधिनियम के प्रावधानानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।
- राज्य सूचना आयोग में भी प्रकरणों में भी प्रकरणों की सुनवाई पर अंतिम निर्णय में लगभग आठ माह का समय व्यतीत हो जाता है।
- राज्य सूचना आयोग द्वारा दोषी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी समुचित रूप में नहीं की जा रही है।
- राज्य सूचना आयोग के आदेशों का पालन भी लोक प्राधिकरणों व जन सूचना अधिकारी द्वारा अनेक प्रकरणों में नजर अंदाज किया जा रहा है ।
- राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की कमी से भी प्रकरणों के लंबित होने की संख्या में वृद्धि होती जा रही है ।
- राज्य शासन द्वारा, आमजन के मध्य अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु किये जाने वाले प्रयास नहीं किये जा रहे है ।
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस कानून के क्रियान्वयन के संबंध में अत्यधिक उदासीनता अपनाई जा रही है ।

अनुशंसाऐं :

- अधिनियम के संबंध में आमजन के मध्य जागरुकता के प्रसार हेतु त्वरित एवं सघन प्रचार–प्रसार अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए।
- राज्य सूचना आयोग में प्रकरणों की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सूचना आयुक्तों की पारदर्शी तरीके से तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए।
- अधिनियम के उचित क्रियान्वयन हेतु, सामान्य प्रशासन विभाग में कानून की भावना के अनुरुप कार्य करने वाले अधिकारी की पदस्थापना की जाए।
- लोक सूचना अधिकारियों पर कानून के कठोरता से क्रियान्वयन हेतु दबाव डालना।
- स्वयमेव खुलासे के प्रावधानों का प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में अनुपालन सुनिश्चित करना।
- इस कानून के अंतर्गत प्राप्त जानकारी से भ्रष्टाचार व अव्यवस्था के प्रकरणों का खुलासा होने पर उन संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कठोरता पूर्वक शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करना।

राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया :

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी :

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्तुतीकरण से अपनी सहमति दर्शाते हुए कहा कि वास्तविक रुप में सूचना का अधिकार कानून प्रशासनिक स्तर पर किये जा रहे कार्यो के कारण सफल होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कानून के क्रियान्वयन में आ रही है समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इसके विभिन्न पक्षों पर चर्चा की।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :

यह कानून यू.पी.ए. सरकार द्वारा लाया गया है तथा हमारी सरकार इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने आमजन के मध्य इस कानून की जागरुकता की कमी के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की और इस पर कार्य करने पर जोर दिया।

भारतीय जनता पार्टी :

कानून तो वास्तविक रुप में आम जनता के लाभ हेतु लाया गया था किन्तु इसके दुरुपयोग की मात्रा काफी बढ़ रही है। उन्होंने आमजन के मध्य जागरुकता का प्रसार कर इसके सकारात्मक प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून के प्रचार प्रसार हेतु राशि की कोई कमी नही है।

॥ पैरवी ॥

जी-30, प्रथम तल,
लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
दूरभाष: 011-29841266, 65151897
email: pairvidelhi@rediffmail.com, pairvidelhi1@gmail.com
website: www.pairvi.org